न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 46/प्रा.पत्र/2020 (GCMS No. 2020/00057)	30.06.2020	28.05.2024

1. सूरजमल आ.रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी खडीपुर, तह.तालेडा
2. रामलाल आ.रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी खडीपुर, तह.तालेडा
3. सोहनलाल आ.रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी खडीपुर, तह.तालेडा
4. गीताबाई पत्नी लालाराम जाति गुर्जर नि. खडीपुर, तह.तालेडा
5. शिशुपाल आ. लालाराम जाति गुर्जर नि. खडीपुर, तह.तालेडा
6. धर्मपाल पत्नी लालाराम जाति गुर्जर नि. खडीपुर, तह.तालेडा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. हजारी आ. कंवरलाल जाति गुर्जर निवासी खडीपुर, तह.तालेडा
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम खडीपुर
   जर्ये तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बून्दी (जिला बून्दी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से श्री कुलदीप सिंह गौड़ एडवोकेट।
अप्रार्थी सं.1 की ओर से श्री प्रेमशंकर गुर्जर, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं.2 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को पत्रावली संख्या 1842/आवंटन/1975 पर किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 411 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम खडीपुर आवंटन आदेश दिनांक 28.12.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका कमांक 46/2020 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2020/00057 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.1 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 11.03.2024 को जवाब पेश किया जाकर उक्त कार्यवाही मिथ्या आधार पर पेश किये जाने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण में विवादित भूमि आवंटन के लिये कोई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित या जारी नहीं की गयी थी। आवंटी अप्रार्थी सं.1 ने ग्राम खडीपुर में कभी भी निवास नहीं किया है, न तो आवंटन के समय निवास करता था और न ही वर्तमान में निवास करता है। अप्रार्थी सं.1 ने आवंटन अधिकारी के समक्ष अपने व परिवार के खाते बाबत पूर्ण विवरण प्रकट नहीं कर कपटपूर्ण आवंटन करवाया गया, जो खारिज किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि को प्रार्थीगण व उसके पिता ने आज से करीब 45 वर्षो पूर्व ही खाल दरडों से आबादी कर उक्त कृषि भूमि में काफी रकम खर्च करके उसको समतल व कृषि योग्य बनाया है। वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा ही उक्त भूमि पर फसल की जा रही है। अप्रार्थी सं.1 ने कभी काश्त नहीं है और न ही उसका उक्त कृषि भूमि से कोई संबंध रहा है। प्रार्थीगण के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं होने से भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आते है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 2 द्वारा गैर कानूनी रूप से बिना तथ्यों व कब्जे की जानकारी किए दिनांक 28.12.1975 को अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सं.1 के अभिभाषक ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी सं.1 को आवंटन परामर्शदात्री समिति ने आवंटन का पात्र मानते हुऐ दिनांक 20.12.75 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया गया। आवंटित भूमि पर आवंटी काबिज रहकर निरन्तर काश्त कर रहा है। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन के 45 वर्ष बाद आवेदन करना उचित नहीं है, प्रार्थना पत्र अवधि बाधित है। प्रार्थीगण ने अपना पुराना कब्जा होना प्रकट किया है, किन्तु इसका कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर पुराना कब्जा होना, सक्षम अधिकारी के पास भूमि नियमन हेतु आवेदन किया जाना अथवा वक्त आवंटन आवंटन समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रकट हो सके। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन अधिनियम,1970 के तहत आवंटन के 3 वर्ष बाद गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है, जिसके अनुसार गैर खातेदार अप्रार्थी सं.1 स्वतः खातेदार बन चुका है। वैसे भी राजस्व मण्डल राजस्थान,

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 27.01.2020 में आवंटित भूमि आवंटी हजारी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हुये है। अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा दौराने बहस राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 27.01.2020 की प्रति पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि हजारी आ. कंवरलाल कौम गुजर निवासी खड़ीपुर को पत्रावली सं.1842/आवंटन/1975 पर दिनांक 20.12.1975 को भूमि खसरा संख्या 411 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम खड़ीपुर का आवंटन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 में एवं नकल जमाबंदी संवत् 2076 में हजारी वल्द कंवरलाल कौम गूर्जर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा काश्त होने से अप्रार्थी सं.1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे, जबकि अप्रार्थी सं.1 का तर्क रहा कि वह आवंटित भूमि पर काबिज होकर निरन्तर काश्त कर रहा है, प्रार्थीगण के पास पुराने का कब्जे का कोई सबूत नहीं है। राजस्व मण्डल द्वारा गैर खातेदार को खातेदारी दिये जाने के आदेश प्रदान किये हुये है।

यहां उल्लेखनीय है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने या आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही सक्षम न्यायालय में पेश करने का अधिकार भूमिधारी तहसीलदार को है, किन्तु हस्तगत कार्यवाही तहसीलदार की ओर से पेश नहीं हुई है अपितु प्रार्थीगण द्वारा आवंटन के 45 वर्ष बाद हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं.1 को आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये जिससे उक्त आंवटित भूमि पर प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा काश्त होना साबित हो सके तथा आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित हो सके। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति प्रार्थना पत्र/एल.आर./7910/2019/बून्दी हजारी बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 27.01.2020 के अवलोकन से प्रकट है कि आवंटी गैर खातेदार हजारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल द्वारा विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर निर्णीत किया जाकर तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया गया है कि यदि विवादित भूमि पर कोई स्थगन आदेश नहीं हो, आवंटन आदेश अपास्त नहीं हुआ हो तथा मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त हो तो वर्ष 1975 में प्रार्थी हजारी को आवंटित की गयी विवादित आराजी खसरा नं. 411/2 हाल खसरा नं. 902/411 रकबा 15 बीघा भूमि हजारी की खातेदारी में नियमानुसार दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

A 6/4

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा आवंटन दिनांक 28.12.1975 को निरस्त किये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जबकि अप्रार्थी सं.1 हजारी को दिनांक 20.12.1975 को भूमि आवंटन किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्ध 45 वर्ष के असाधारण विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रथमदृष्टया प्रमाणित नहीं पाये गये। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है। साथ ही तहसीलदार तालेडा को आदेश प्रदान किये जाते है कि गैर खातेदार हजारी द्वारा आवंटित भूमि बाबत आवंटन की शर्तो की पालना की जा रही है या नहीं? इस संबंध में वादग्रस्त कृषि भूमि की मौका जांच की जावें। यदि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही हो, तो आवंटन निरस्ती हेतु नियमानुसार प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावें, अन्यथा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2020 के संदर्भ में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी